MOST URGENT VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI PUBLIC WORKS DEPARTMENT 5TH LEVEL "B" WING DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

F.No.11(30)/PWD-II/VSQ-13/july21/St.Q/ 6040-43

Date: 28/27/2021

To

The Dy. Secretary, Question Branch, Delhi Legislative Assembly, Question Branch, Old Secretariat, New Delhi- 110054.

Sub: - Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 13 raised by Sh. Pawan Kumar Sharma, Hon'ble MLA for dated 29.07.2021.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F. 11(B-1) VI/2015-20/VSS/Question Branch/5979 dated 22.07.2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

(A.L. MADAAN)
Dy. Secretary (PWD/VS)
Ph. 011-23392589

F.No.11(30)/PWD-II/VSQ-13/july21/St.Q/ 6040-42

Date: 28/02/24

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 7th level, Delhi Secretariat, GNCTD.

2. E-in-C, PWD, MSO Building, I.P. Estate, GNCTD, New Delhi.

3. PS to Secretary (PWD), 5th level, Delhi Secretariat, GNCTD, New Delhi.

(A.L. MADAAN)
Dy. Secretary (PWD/VS)



विभाग का नाम :— लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार विभाग का पता :— 5वॉ तल, बी—विंग, दिल्ली सर्चिंवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली—110002.

तारांकित प्रश्न संख्याः 13

दिनांकः 29.07.2021

प्रश्नकर्ता का नामः श्री पवन कुमार शर्मा

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें किः

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क		जी हाँ।
	रोड संख्या 51 को चौड़ा किए जाने	
	का कोई प्रस्ताव हैः	
ख	यदि हाँ, तो उसका विवरण और इसे	यह कार्य स्ट्रीट स्केपिंग की कार्य योजना
	कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;	में शामिल है, जिसका प्राक्कलन दिल्ली
		सरकार को भेजा गया है एवं यह वित्त
		विभाग, दिल्ली सरकार में विचाराधीन है।
ग	क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर	जी हाँ।
	अनधिकृत अतिक्रमण हैं, और	
	-	
घ	यदि हाँ, तो इन अतिक्रमणों को हटाने	इस विभाग ने उपरोक्त सडक से
	के लिए उठाए जाने वाले कदमों का	अतिक्रमण को हटाने हेतु
	विवरण?	उप–दण्डाधिकारी(माडल टाउन) को
	143 ().	सूचित कर दिया गया है एवं यह
		अतिक्रमण दिल्ली नगर निगम के एस.टी.
		एफ. द्वारा हटाया जाना है। इस संबंध में
		एस.टी.एफ. को आवश्यक लोजिस्टिक
		सपोर्ट लोनिवि द्वारा उपलब्ध कराया
		जाएगा ।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(ए,एल, मदान)

उप सचिव, (लो०नि०वि०)

Deputy Secretary (PWD)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi-110002